उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-80/2020/225प्र0स0/92-2-2020-95एम/2019,
लखनऊ :: दिनांक:: 03 जुलाई, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड/पी0आई0यू0-ललितपुर में किसी भी निर्माण कार्य का मानक के अनुसार निरीक्षण नहीं किये जाने, श्री राजेन्द्र कुमार, अवर अभियन्ता के स्थानान्तरण के बावजूद भी उन्हे कार्यमुक्त न करने, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड ललितपुर में कार्यरत कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने, जनप्रतिनिधियों से उचित संबंध, शिष्टाचार एवं अपेक्षित सम्पर्क न होने के कारण प्रखण्ड ललितपुर में कार्यभार अर्जित करने का निर्धारित लक्ष्य पूर्ण नहीं किये जा सकने आदि अनियमितताओं व विभागीय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- संख्या-201/2019/2816/92-2-2019-95एम/2019, दिनांक 31.12.2019 द्वारा श्री सुधीश त्यागी, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड ललितपुर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-चित्रकूट धाम बांदा को पदेन जांच अधिकारी तथा प्रकरण में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-ललितपुर को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया गया।

2- इसी मध्य अपचारी अधिकारी श्री सुधीश त्यागी, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड ललितपुर जो अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30.04.2020 को सेवानिवृत्त हो गये, के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31.12.2019 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत परिवर्तित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पाना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-80/2020/225प्र0स0(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रा0अभि0वि0, परिमण्डल चित्रकूट धाम बांदा ।

3- श्री सुधीश त्यागी, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड ललितपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।